न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या 33/2014 (कम्प्यूटर नं. 2014/00012)

प्रार्थी

1. देवीसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर हाल श्रीमति गीलूंवर पी.2 नीरू पार्क शास्त्री नगर बी.एस.एन.एल. कालोनी सीकर
2. राजस्थान जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) तह. कुचमानसिटी
3. उप पंजीयक कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी

प्रार्थना—पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :— 20.9.2019

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनो सगे भाई है तथा ग्राम मण्डावरा के पुख्ता निवासी है एवं ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 3.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 6.90 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम दोनो की संयुक्त खातेदारी की दर्ज चली आ रही है तथा दोनो भाईयो ने आपसी सुविधा के 5 वर्ष पूर्व बंट कर अलग—अलग काबिज है मौके पर पश्चिम तरफ की 2.69 हैक्टर भूमि प्रार्थी देवीसिंह के कब्जा व बंट मे है तथा पूर्वी तरफ की 4.21 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 राजेन्द्रसिंह के कब्जा व बंट मे है मौके पर खसरा नम्बर 248 रकबा 3.57 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ प्रार्थी के कब्जा में है तथा इस खसरा की शेष भूमि 0.88 पूर्वी तरफ, खसरा नम्बर 249 रकबा 2.26 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 250 रकबा 1.07 हैक्टर सम्पूर्ण कुल 4.21 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 राजेन्द्रसिंह के भौतिक कब्जा व बंट मे है लेकिन अभी तक खातेदारी संयुक्त है तथा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स भू—विभाजन विधिवत नही हो पाया है। अप्रार्थी नं. 1 ने भू—माफिया [illegible] उपरोक्त भूमि बेचान के उद्देश्य से दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए [illegible] कायम कराने का प्रार्थी अधिकारी है इसलिए बिना विधिवत [illegible] नहीं करे इसके लिए प्रार्थना—पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का लाना आवश्यक हुआ है। प्रथम दृष्टया [illegible], सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरर्णीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि उपरोक्त भूमि अविभाजित है तथा बिना विधिवत भू—विभाजन के दिशा विशेष बताकर बेचान हस्तानान्तरण, रहन,बक्शीश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 उतारू है, यदि अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:18:44 IST
Reason: SelfAttested

.....2.....

उपखण्ड अधिकारी

1 अपनी मंशा में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को भारी असुविधा होगी। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 248 रकबा 3.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 6.90 हैक्टर में अप्रार्थी संख्या 1 को ता–फैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि बिना विधिवत बंटवारा कराये बेचान, हस्तानान्तरण, बख्शीश इत्यादि नही करे, अप्रार्थी संख्या 2 राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे, अप्रार्थी संख्या 3 पंजियन स्वीकार नही करे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिये आम मुख्त्यार दीपसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत मण्डावरा द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से चालू जमाबन्दी नकल 2061–64 की प्रति वरवक्त प्रस्तुत की, तथा अप्रार्थी की ओर से मुख्त्यारनामा की छाया प्रति प्रस्तुत की।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पूर्ण रक्त सम्बन्धी बहिने गुमान कंवर, सरोज कंवर, सुरज कंवर, बबली कंवर, कैलाश कंवर और प्रार्थी एवं उत्तरकर्ता के पिताजी श्री रामसिंह जी का स्वर्गवास दिनॉक 25.12.1973 को एवं माता श्रीमति सज्जनकंवर का दिनॉक 15 जनवरी 1975 को निर्वसीयती हो चुका है और उक्त आराजी पर उक्त सम्पूर्ण आराजी पर प्रथम श्रेणी के प्रत्येक उत्तराधिकार के हक हिस्से में 1/9 – 1/9 हक हिस्सा प्राप्त हुआ था अप्रार्थी संख्या 1 के साथ उक्त आराजी में बहिनो का वैध हक हिस्सा व कब्जा मौजूद है। उत्तरकर्ता की बहिने मौजूद है तथा प्रार्थी अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमियों का अन्यत्र बेचान कर चुका है इसलिए रेकर्ड में गलत राजस्व प्रविष्टियॉ दर्ज है इसका दुरूपयोग कर रहा है, प्रार्थी अपने सम्पूर्ण 1/9 हिस्से का अन्यत्र बेचान कर चुका है। वास्तव में सम्पूर्ण आराजी भूमि पर उसकी बहनो का संयुक्त आधिपत्य में अविभाजित अवस्था में आयी हुई है, मौके पर उत्तर मे दीवार व शेष दिशाओ में सीव मांठ मौजूद है ओर अन्दर मकान मन्दिर आदि पर उक्त बहिने काबिज है। प्रार्थी द्वारा अपना हिस्सा अपने मित्र नागर अग्रवाल की माता गुलाबी देवी के पक्ष में इस आशय बेचाननाम दिनॉक 19.01.2005 को पंजिकृत करवाया गया ताकि बेचान से जमीन शुद्व होकर वापस दिनॉक 05.04.2006 को रजिस्टर्ड बेचाननामा होने से गुमानकंवर, सरेाज कंवर, सुरजकंवर,बबलीक[illegible]शकवर, आयन्दा कभी जमीन में से अपेन कब्जा काश्त के हक [illegible] अधिकार की सम्भावना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जावे, पूर्ववर्ती [illegible]दार दीपसिंह ने उक्त आराजी का वास्तविक बेचान नही किया गया था ना ही बा[illegible] में गुलाबदेवी ने प्रार्थी को वास्तविक बेचान नही किया गया था ना ही बाद में गुलाब देवी ने प्रार्थी को वास्तविक बेचान किया गया, केवल दिखावटी बेचान किया गया जिसमें रूपये पांच लाख व कब्ज का कोई लेन–देन प्रार्थी व गुलाबीदेवी के मध्य एवं रूपये साल लाख प्रार्थी ने गुलाबदेवी को कतई अदा नही किये, जब गुलाबदेवी के पास ही कब्जा नही था इसलिए गुलाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:18:44 IST
Reason: SelfAttested

देवी कब्जा अन्तरण करने मे भी सक्षम नही थी, प्रार्थी का कब्जा अन्तरण नही होने से तथाकथि बेचान प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर हव प्रभावहीन नोन ईस्ट दस्तावेज है आज भी मौके पर कब्जा पिता श्री रामसिंह व माता सज्जनकंवर के देहानत के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी बहैसियत पुत्रियॉ उक्त आराजी में प्रत्येक अपने अपने 1/9, 1/9 हक हिस्से के आधार पर पक्के मकान में काबिज है। अतः प्रार्थना–पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। दोनो पक्षो ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 248 249 250 कुल रकबा 6.90 हैक्टर में श्रीमति गुलाबीदेवी पत्नि सोहनलाल जाति अग्रवाल सा. मीठड़ी तह.नावा खातेदार दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 192/11.04.06 जरिऐ बेचान से गुलाबदेवी के द्वारा बेचान करने पर देवीसिंह पुत्र रामसिंह 2.69 हैक्टर, राजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह 4.21 हैक्टर जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रतीत होता हो कि उपरोक्त भूमि पूर्व में उनकी पैतृक भूमि रही हो। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार उपरोक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तमात तथ्य काल्पनिक एवं मिथ्या है। उपरोक्त भूमि पर अपनी बहनो का कब्जा काश्त होना एवं उनका भी हक हिस्सा उक्त भूमि में निहित होना किसी भी ऐसे दस्तावेज से साबित नही होता है तथा नही ऐसे किसी प्रकार के दस्तावेजात जवाब मुताबिक प्रस्तुत किये है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 248 रकबा 3.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 6.90 हैक्टर में अप्रार्थी संख्या 1 को ता–फैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि बिना विधिवत बंटवारा कराये बेचान, हस्तानान्तरण, बख्शीश इत्यादि नही करे, अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम का राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे, अप्रार्थी संख्या 3 (अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत) किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:18:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनाँक 20.9.2019 को मेरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट RAS,)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)